

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

प्रदेश में गर्मी के तापमान एवं लू-तापघात का प्रकोप एवं आगामी दिनों तक गर्मी की विषम परिस्थितियों को देखते हुए निदेशालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी, समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज., मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज., आरसीएचओ राज., उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज., प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग की अनुमति को अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया जाता है।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशक, जन स्वास्थ्य की अनुमति के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश हेतु प्रस्थान करेंगे।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मिकों को भी उपरोक्तानुसार पाबन्द करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पंचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- मिशन निदेशक, एन. एच. एम. मुख्यालय, जयपुर।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. एस. सी. एल. मुख्यालय, जयपुर।
- 5- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राज. जयपुर।
- 6- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर।
- 7- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान
- 8- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राजस्थान
- 9- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 10- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 11- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7571680

Document certified by PREETI MATHUR
<adwececell.we@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Priiti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :29-05-2024 07:05:02

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/2024/ 280

दिनांक : 29/05/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित/ चिकित्सा प्रशासन/ ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
7. समस्त आरसीएचओ राजस्थान।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
10. समस्त कार्मिक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को पालनार्थ।
11. सर्वर रूम/प्रभारी रूम को भेज कर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करवाने का श्रम करवायें।
12. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।